

पटना में दिनांक-05 फरवरी, 2014 बुधवार को अपराह्न 05:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

स्वास्थ्य विभाग

- | | | | |
|----|--|----|----------|
| 1. | बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ की माँगों पर गठित उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुए कार्रवाई की स्वीकृति के संबंध में। | 1. | स्वीकृत। |
|----|--|----|----------|

स्वास्थ्य विभाग

- | | | | |
|----|---|----|----------|
| 2. | बिहार प्रयोगशाला प्रावैधिक संवर्ग नियमावली, 2014 की स्वीकृति। | 2. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

स्वास्थ्य विभाग

- | | | | |
|----|---|----|----------|
| 3. | बिहार शल्य-कक्ष सहायक संवर्ग नियमावली 2014 की स्वीकृति। | 3. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

स्वास्थ्य विभाग

- | | | | |
|----|---|----|----------|
| 4. | बिहार ई०सी०जी० टेकनीशियन संवर्ग नियमावली, 2014 की स्वीकृति। | 4. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

स्वास्थ्य विभाग

- | | | | |
|----|---|----|----------|
| 5. | बिहार एक्स-रे टेकनीशियन संवर्ग नियमावली 2014 की स्वीकृति। | 5. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

जल संसाधन विभाग

- | | | | |
|----|--|----|----------|
| 6. | लोअर नून नदी के बाँया तटबंध के वि०दू० 501.00 से 581.00 वि०दू० एवं खमैत झील लिंक चैनल के बाँया तटबंध के वि०दू० 0.00 से 35.70 वि०दू० (कुल 35.90 कि०मी०) तक सुदृढीकरण एवं शीर्ष पर विटुमिनस सड़क निर्माण कार्य जिसकी प्राक्कलित राशि रू० 4711.34 लाख रुपये है, की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति। | 6. | स्वीकृत। |
|----|--|----|----------|

योजना एवं विकास विभाग

8. योजना एवं विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन में संविदा आधारित नियोजित 487 कनीय अभियंत्रणों के नियोजन अवधि को अगले एक वर्ष तक विस्तारित किये जाने के प्रस्ताव की स्वीकृति के संबंध में। 8. स्वीकृत।

वित्त विभाग

9. बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2005 में संशोधन के संबंध में। 9. स्वीकृत।

सूचना प्रावैधिक विभाग

10. बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लि०, पटना का राज्य सरकार द्वारा परिसमापन संबंधी लिये गये निर्णय को वापस लिये जाने के संबंध में। 10. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

11. श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जहानाबाद को लोकहित में बिहार सेवा संहिता के नियम-74 (बी) (ii) के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्त कराने के संबंध में। 11. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

12. बिहार परिधापक संवर्ग नियमावली, 2014 की स्वीकृति। 12. स्वीकृत।

वित्त विभाग

13. बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम-271 एवं 272 में उपयोगिता प्रमाण पत्र तैयार करने एवं उसे महालेखाकार को समर्पित करने के प्रावधान में संशोधन तथा कुछ नये प्रावधान जोड़ने के संबंध में। 13. स्वीकृत।

वाणिज्य-कर विभाग

15. बिहार वित्त सेवा के पदाधिकारियों को वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या-6781 दिनांक-16.10.2012 एवं 947 दिनांक- 20.03.2013 द्वारा वेतनमान् रू० 15,600 - 39100+ग्रेड-पे 5,400/-से वेतनमान् रू० 15,600 - 39100+ग्रेड-पे 6,600/- में प्रदान की गई प्रथम रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति योजना (एम०ए० सी०पी०) को रद्द करने के संबंध में।
15. स्वीकृत।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

16. लोकहित याचिका सं०-22155/2012 में दिनांक-16.07.2013 को पारित अंतरिम आदेश के आलोक में बागला समिति की अनुशंसा के अनुरूप राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग, पटना के लिये अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति।
16. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

17. पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत बगहा 2 अंचल के मौजा-खरहट, थाना सं०-110, खाता सं०-186, खेसरा सं०-10/1, रकबा-5.40 एकड़ गैर मजरूआ मालीक किस्म परती कदीम भूमि का अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय मेडरौल की स्थापना हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को अन्तर्विभागीय निःशुल्क स्थायी हस्तान्तरण।
17. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

18. माननीय उच्च न्यायालय के याचिका संख्या-13525 /2012 में पारित न्यायादेश के आलोक में श्रीमती मृदुला कुमारी, प्रयोगशाला प्रभारी, वनस्पति विज्ञान विभाग, रामवृक्ष बेनीपुरी महिला महाविद्यालय के पद सृजन एवं सेवा नियमितिकरण के स्वीकृति के संबंध में।
18. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

19. राज्य के विश्वविद्यालयों में कार्यरत चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने के संबंध में।
19. स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग

(समाज कल्याण निदेशालय)

20. महिला विकास निगम के अधीन कार्यरत 'राज्य महिला संसाधन केन्द्र' के अन्तर्गत राज्य के तीन जिलों यथा औरंगाबाद, बेगूसराय एवं नालंदा के 10-10 पंचायतों में 'पूर्ण शक्ति केन्द्र' के संचालन, पदों की स्वीकृति तथा प्रति जिला सहायक अनुदान की राशि रूपये 40,11,000/- कुल 1,20,33,000 (एक करोड़ बीस लाख तैंतीस हजार) मात्र की स्वीकृति के संबंध में।
20. स्वीकृत।

योजना एवं विकास विभाग

21. बिहार योजना सेवा (संशोधन) नियमावली, 2014 की स्वीकृति।

21. स्वीकृत।

योजना एवं विकास विभाग

22. योजना एवं विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन गठित जिला योजना कार्यालय एवं स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के सुदृढीकरण हेतु कुल 670 पदों के सृजन की स्वीकृति।

22. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

24. योजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन हेतु बिहार लोक निर्माण संहिता के नियम 159 "क" में अतिरिक्त उप कंडिका (iii) के प्रावधान किए जाने के संबंध में।

24. स्वीकृत।